रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2015/चैत्र 6, 1937
No. 648] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2015/CHAITRA 6, 1937

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2015

**का.आ. 869(अ).**—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 04.11.2014 की अधिसूचना का.आ. 2818 (अ) के तहत दिनांक 04.11.2014 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य की सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दिनांक 30.09.2014 की अधिसूचना सं. 2563(अ) के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था।

और यत: असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश राज्य के सभी जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है;

(ii) असम-अरुणाचल सीमा पर एन डी एफ बी (एस), एन एस सी एन (आई/एम), एन एस सी एन (के), यू एल एफ ए (आई), के एल ओ, एम पी एल एफ मौजूद हैं और के वाई के एल, यू एन एल एफ,

पी एल ए एवं के सी पी व्यक्तियों, सामग्री की आवाजाही, घुसपैठ करने एवं फिर वापस जाने में एन डी एफ बी (एस), यू एल एफ ए (आई) एवं के एल ओ को सहायता प्रदान कर रहे हैं;

(iii) एन डी एफ बी (एस) ने अब टागा, म्यांमार में अपना सामान्य मुख्यालय एवं प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर लिया है और सूचना के मुताबिक वह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले से होकर म्यांमार से हथियार लाने के लिए नए मार्ग का पता लगाने पर विचार कर रहा है;

(iv) अरुणाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र आतंकवादियों को सुविधाजनक स्थिति प्रदान करता है और भूमिगत गुटों द्वारा इसका उपयोग सुरक्षित आश्रय के रूप में किया जाता है;

(v) वामपंथी उग्रवाद इस राज्य में चुपचाप घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि वह अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी एवं लोहित जिले की सीमा से सटे धेमाजी एवं तिनसुकिया क्षेत्रों में अत्यधिक सक्रिय पाया गया है।

अब, इसलिए, केवल अरुणाचल प्रदेश के संबंध में, दिनांक 4.11.2014 एंव दिनांक 30.9.2014 की अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, असम राज्य की सीमा से सटे तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिले सहित अरुणाचल प्रदेश राज्य में सभी जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

शंभू सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2015

**S.O. 869.—**Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 04.11.2014 vide Notification S.O. 2818(E) dated 4.11.2014.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared, besides other areas, the areas falling with 20 km wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

Whereas Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, vide Notification No. 2563(E), dated 30.9.2014.

And whereas a further review of the Law and order situation in entire districts in Arunachal Pradesh bordering Assam indicates the following:

i) The Law and order situation in all the districts in the State of Arunachal Pradesh bordering Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incident by underground outfits;

ii) There is presence of NDFB(S), NSCN(I/M), NSCN(K), ULFA(I), KLO, MPLF, along with the Assam-Arunachal border and KYKL, UNLF, PLA and KCP are helping NDFB(S), ULFA(I) and KLO for movement of men, material, infiltration and exfiltration;

iii) The NDFB(S) have now set up their General Head quarter and training camp in Taga, Myanmar and are reportedly contemplating to find out a new route for arms transshipment from Myanmar via Changlang district of Arunachal Pradesh;

iv) The geographical terrain of Arunachal Pradesh puts the militants in advantageous position and is used by the underground outfits as their safe heaven;

v) The left wing extremism though silently trying to infiltrate into the State as it is found to be mostly active in areas of Dhemaji and Tinsukia districts bordering with Lower Dibang Valley and Lohit district of Arunachal Pradesh.

Now, therefore, in supersession of notifications dated 4.11.2014 and 30.9.2014, to the extent only in relation to the Arunachal Pradesh, all the districts in the State of Arunachal Pradesh, including Tirap, Changlang and Longding districts in the State, bordering the State of Assam are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year from the date of publication of this Notification, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.